

(प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, कैम्प सारेडा)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुझुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस

मिसल संख्या:- 510/2021

-:आदेश:-

दिनांक 09/11/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं सरपंच ग्राम पंचायत सारेडा व तहसीलदार बुहाना की अभिशांषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सारेडा पटवार मण्डल सारेडा की जमाबन्दी सम्वत् 2025-26 के खाता संख्या 26 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सारेडा</u>	26	<u>सुभाषचन्द्र प्रो अमरवीर</u>	<u>सुभाषचन्द्र प्रो अमरवीर</u>

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुझुनू (राज.)
दिनांक :- 09/11/2021

क्रमांक :- राजस्व / 2021 / 264-65
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को वास्ते पालनार्थ (दो प्रति)
2. प्रार्थी सुभाषचन्द्र प्रो अमरवीर सारेडा को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुझुनू (राज.)

